भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1485
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राज्य स्तरीय दिशानिर्देश समिति की बैठक

1485. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार राज्य में आयोजित राज्य स्तरीय दिशानिर्देश समिति की बैठकों का वर्ष-वार ब्यौरा और संख्या क्या है;
(ख) राज्य के विकास के संबंध में लिए गए प्रमुख निर्णयों और जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार के पास राज्य स्तरीय दिशानिर्देश समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने और बैठकों में लिए गए निर्णयों का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों में राज्य स्तरीय दिशानिर्देश समितियाँ गठित नहीं की जाती।

तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संसद, राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकाय) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए तथा जिला स्तर पर केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समितियाँ (दिशा) गठित की जाती हैं। जिला स्तरीय दिशा समिति (डीएलडीसी) की बैठकों में सामने आने वाले

ऐसे अनसुलझे मुद्दों और निर्देशों जिनके समाधान हेतु उच्च स्तर पर हस्तक्षेप आवश्यक होता है, उनके लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित मुख्यमंत्री अथवा उपराज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समितियाँ (एसएलडीसी) गठित की जाती हैं ताकि आवश्यक मार्गदर्शन और समाधान प्रदान किया जा सके।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार के विभिन्न जिलों में 08 अगस्त 2024 को जिला स्तरीय दिशा समिति के पुनर्गठन के बाद से अब तक 130 डीएलडीसी की बैठकें आयोजित की गई हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अभी तक एसएलडीसी का गठन नहीं किया गया है।

दिशा के अत्यंत महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय दिशा समितियाँ गठित की जाएँ और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों। हाल ही में, दिनांक 03.07.2026 को बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजकर राज्य स्तरीय दिशा समिति गठित करने और दिशा के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में अनुस्मारक भेजा गया है।
